12/11.2.8

संख्याः–08/(वि.आ.निदे.) 108 /XXVII(1)/2017

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादूनः: दिनांकः** 22 **जनवरी, 2018**

विषयः–विकास खण्ड स्तर पर ग्राम पंचायतों के लेखों का रख–रखाव एवं डाटा इन्ट्री कार्य हेतु सर्विस आउट सोर्स एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों के लेखों के रख–रखाव एवं डाटा इन्ट्री कार्य, सर्विस आउट सोर्स एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्धारित धनराशि **₹50700000.00 (₹पाँच करोड़ सात लाख मात्र)** आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही हैः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नही होगा।
2. डाटा एन्ट्री आपरेटरों हेतु ₹15000.00 प्रति आपरेटर प्रति माह मानदेय निर्धारित है, जिसमें आपूर्ति करता एजेन्सी का सेवा शुल्क व अन्य कर भी सम्मिलित है इसलिए इससे अधिक का व्यय किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
3. **ग्राम पंचायतों में डाटा इन्ट्री कार्य, सर्विस आउट सोर्स एजेन्सी के माध्यम से कराया जायेगा, जिसका अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
4. डाटा इन्ट्री आपरेटर जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रण में रखें जायेंगे ताकि इनके द्वारा ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों की डाटा इन्ट्री का कार्य लिया सकें। उक्त डाटा इन्ट्री आपरेटर विकास खण्ड के अन्य कार्यो में नहीं लगाने चाहिए तथा जिला पंचायत राज अधिकारी की इन डाटा इन्ट्री आपरेटरों से कार्य लेने की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
5. 281 डाटा एन्ट्री आपरेटरों हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ₹5.07 करोड़ की धनराशि निर्धारित है। इसमें से अवशेष धनराशि का व्यय अगले वित्तीय वर्ष में एक अतिरिक्त डाटा एन्ट्री आपरेटर के माध्यम से कार्य लेकर किया जा सकेगा।
6. ऐजन्सी द्वारा नियुक्त किये गये डाटा इन्ट्री आपरेटरों की तैनाती सूची विकास खण्डवार व जनपदवार वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल निदेशक, पंचायतीराज द्वारा तैयार कराये जायेंगे जिसे जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।
8. अवमुक्त की जा रही धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

P.T.O

9. उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा निदेशक, पंचायतीराज से प्रतिहस्ताक्षर कराते हुए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन व सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. अलोटमेन्ट आई.डी संलग्न है।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–पंचायती राज संस्थायें —196–जिला पंचायतें/परिषदें–04–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

/

(एल.एन पन्त)
अपर सचिव।

109

संख्याः–08/(वि.आ.निदे.) ~~[illegible]~~/XXVII (1)/2017, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) ओबेरॉय बिल्डिग, सहारनपुर रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल उत्तराखण्ड ।
4– निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, 223 विश्वकर्मा भवन, उत्तराखण्ड शासन।
7– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी/देहरादून कोषागार देहरादून, उत्तराखण्ड ।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
9– निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री, मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10– समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

(एल.एन.पन्त)
अपर सचिव।